लिंग भेद भाव : कन्या भ्रूण हत्या का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

पीएच.डी. (समाजशास्त्र)

की

उपाधि हेतु प्रस्तावित रूपरेखा

शोधार्थिनी

नीलम कुमारी

पर्यवेक्षक

प्रो0 बन्दना गौड़

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान संकाय

दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीम्ड युनिवर्सिटी)

दयालबाग, आगरा–282005

2020

प्रस्तावना

लिंग भेदभाव स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट पर आधारित जैविक अंतर है, और यही अंतर स्त्री और पुरुष का आधार है। प्राकृतिक होने के कारण इस प्रकार का अंतर सभी जीवों में समान होता है। आज 21वीं सदी में भी लैंगिक भेदभाव ने महिलाओं को पुरुष की अधीनस्थ स्थिति में रखा है। महिलाऐं लैंगिक आधार पर भेदभाव और शोषण का शिकार हुई है। जिसका मुख्य कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रणाली है। औरत की शारीरिक दुर्बलता भी इस लिंग भेदभाव का कारण रही है, और इसी दुर्बलता के कारण वह बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक पुरुष पर निर्भर रही है। पितृसत्तात्मक एक ऐसी सामाजिक प्रणाली है, जहाँ पुरुष औरत पर अपना स्वामित्व जमाता आया है। आधुनिक समाज में भी महिलाओं को स्वतन्त्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। हमारे समाज में महिलाऐं कभी धार्मिक, आर्थिक, तो कभी सामाजिक शोषण का शिकार होती आ रही हैं। स्त्री पुरुष काम के बँटवारे को लेकर हो या फिर महिलाओं को शारीरिक श्रम के बदले मिलने वाले कम वेतन को लेकर हो, भेदभाव की शिकार हुई है। महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार घर से ही शुरू होता है, और यह स्तर सामाजिक सभी स्तरों पर भेदभाव का रूप ले लेता है। जहाँ भारतीय धर्म महिलाओं को शक्ति रूपा कहकर सम्मान देता हैं, वही हमारा समाज महिलाओं को हीन दृष्टि से देखता है, जहाँ सिर्फ पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है। जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या, महिला साक्षरता दर में कमी, कन्या बाल हत्या जैसे अमानवीय कृत्य हुए है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का यह प्राकृतिक अधिकार है कि उसे सम्मान एवं गरिमामय जीवन जीने का अवसर दिया जाए। वर्तमान समय में लिंग भेदभाव जैसी समस्या अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। महिला सृष्टि की निर्मात्री है फिर भी आए दिन उन पर अत्याचार व शोषण लिंगभेदभाव एवं कन्या भ्रूण हत्या निरन्तर जारी है।

डॉक्टर द्वारा गैर कानूनी तरीके से अल्ट्रासाउंड के द्वारा महिला के गर्भ में पल रहे शिशु का जन्म होने से पहले लिंग जांच करवाना और अजन्मे लड़की शिशु को गर्भपात द्वारा हत्या करना कन्या भ्रूण हत्या है। कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है। प्रकृति की हर वस्तु एवं प्राणी में स्वभाविक संतुलन देखा जाता है, किंतु मानव ने प्रकृति के दोहन की आदत के फलस्वरूप अपने स्वार्थ के लिए इस संतुलन को बिगाड़ने का निरंतर प्रयास किया है। नारी बिना सृष्टि सम्भव नहीं, नारी सनातन शक्ति है।

आदिकाल से अब तक सभी दायित्व सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक दायित्व को अपने कंधों पर उठाती आई है। आज नारी ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लम्बा रास्ता तय किया है। राष्ट्र की भावी पीढ़ी का प्रवेश महिलाओं द्वारा ही सम्भव है। हमारे देश ने महिलाओं के वर्चस्व को स्वीकार किया है। उन्हें गरिमा प्रदान करते हुए पूज्यनीय माना है। वैदिक काल से वर्तमान तक की नारी की स्थिति परिवर्तनशील रही है।

वैदिक काल में औरतें घर का भाग्य व पूज्यनीय योग्य थी। इस काल में औरतों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। प्रत्येक ज्ञान का नारी को अधिकार था। पति के चयन की स्वतन्त्रता थी। महिला राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होती थी। सभा समिति में इनकी भागीदारी थी, परिणामस्वरूप समतामूलक पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती थी।उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की दशा में गिरावट आई पुत्र एवं पुत्री में तुलना की गई। मध्यकाल में नारी की स्थिति में पहले गिरावट आयी, जैसे–जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया स्त्रियां घर के अंदर कैद होती चली गई। इसका कारण विदेशी आक्रमणकारियों की स्त्रियों पर बुरी नजर थी। समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और अधिक गिरावट आयी। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक आदि इस काल में प्रारम्भ हुए। नारी एक अबला रमणी और भोग्या बन कर रह गई।

19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरूद्व आवाज उठाई तथा इन सभी कुप्रथा को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए। वर्षों के नारी स्थिति में आई गिरावट में रोक लगी। 19वीं सदी के मध्यकाल से लेकर 21वीं सदी तक आते–आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। महिलाओं ने समाज के सभी क्षेत्र में उपलब्धियों के नए आयाम तय किये। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में बराबरी व्यवहार वाले जोड़े बनने लगे हैं, आर्थिक दृष्टि से नारी अर्थचक्र के केन्द्र की ओर बढ़ रही है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आया है। लेकिन फिर भी वह पुरुष प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। आमतौर पर मानवता और विशेष रूप से समुचित स्त्री जाति के विरूद्ध सबसे जघन्य अपराध है। भारतीय समाज में अनचाहे रूप से पैदा हुई लड़कियों को मारने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। इस अपराध को अंजाम तक पहुँचाने के लिए वैज्ञानिक आविष्कार सहयोगी बने हैं। एक ओर भारत में जहाँ शास्त्रों की बात होती हैं "यत्र नार्यस्तु

पूज्यंते रमंते तत्र देवता" तो वहीं दूसरी ओर नारी को जन्म भी नहीं लेने देना चाहते हैं। वही यह मालूम पडता है कि हमारा समाज दोहरे चरित्र वाला है। इस परम्परा के वाहक अशिक्षित संगठन व मध्यम वर्ग ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षित समाज भी है।

<u>**पितृसत्ता**</u>— पितृसत्ता सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण व उत्पीड़न करते हैं। पितृसत्ता अंग्रेजी शब्द पैट्रियार्की का हिन्दी अनुवाद है। अंग्रेजी में यह शब्द दो यूनानी शब्दों पैटर और आर्के का अर्थ है— शासन अर्थात् 'पिता का शासन'। पितृसत्ता इसकी विचारधारा है जिसके तहत यह विचार प्रभावी रहता है, कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ है और महिलाओं पर पुरुषों का नियन्त्रण है पितृसत्तात्मक समाज में महिलायें समाजीकरण के जरिए वो खुद पुरुष वर्चस्व को आत्मसात करके उसके प्रति अपनी सहमति देती है। परिवार के मुखिया पर उनकी आर्थिक सहमति ली जाती है। पितृसत्ता में महिलाओं को शक्ति और वर्चस्व के साधनों से वंचित करने पर उनकी सहमति आसानी से हासिल कर ली जाती है और जब महिलाऐं पितृसत्ता के इशारों पर जिन्दगी जीने लगती है।पितृसत्ता में महिलाऐं दोयम दर्जे की नागरिक होती हैं। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं आर्थिक शोषण के साथ—साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधीनता, और उत्पीड़न का भी शिकार होती है।

सिल्विया बाल्बे के अनुसार— "पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें आदमी—औरत पर अपना प्रभुत्व रखता है, उसका शोषण करता है। महिलाओं का शोषण एवं दमन भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है।

<u>**अध्ययन से सम्बन्धित सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य**</u>

पितृसत्तात्मक परिवार वह है। जिसमें पुरुषों के माध्यम से परिवार का पता लगाया जाता है। पिता या पिता परिवार में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। परिवार के सभी सदस्य उन्हें श्रद्धांन्जलि अर्पित करते हैं।

स्त्री एवं पुरुष का समाजीकरण पितृसत्तात्मक प्रणाली में हुआ जहाँ संरचनात्मक स्तर पर घरेलू श्रम विभाजन सम्बन्धी अध्ययनों ने भी स्त्री और पुरुष के बीच काम के वितरण में बड़ी असमानता प्रदर्शित की है। यह संस्कृति, विचारधारा और तार्किक धारणाओं तक ही सीमित नहीं है। घर में लैंगिक श्रम

विभाजन से लेकर श्रम बाजार तक, राज्य की व्यवस्था में, कामवृत्ति (मैथुन) भावना में, हिंसा की रचना में और सामाजिक संगठन के कई पक्षों में लैंगिक सम्बन्धों की रचना होती है।

गर्डालर्नर (1986) का सिद्धान्त क्लासिक इतिहास, पितृसत्ता का निर्माण, के विकास का पता लगाता है। मध्य पूर्व में दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में पितृसत्ता, लिंग सम्बन्धों को सभ्यता के इतिहास की कहानी के केन्द्र में रखकर तर्क दिया कि इस विकास से पहले पुरुष प्रभुत्व सामान्य रूप से मानव समाज की विशेषता नहीं थी। महिलाओं का रख–रखाव महत्वपूर्ण था मानव समाज और समुदाय, लेकिन कुछ अपवादों के साथ, सामाजिक और कानूनी शक्ति पुरुषों द्वारा मिटा दी गई थी। इस सिद्धान्त के अनुसार पितृसत्तात्मक परिवार सबसे प्राचीन सामाजिक संगठन है।

जार्ज हर्बर्ट मीड ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनके 'मैं' और 'मुझे' के सिद्धान्त के बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया की एक नये तरीके से व्याख्या की व्यक्ति के समाजीकरण में मीड ने समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करते हुए कहा की बालक को अपने बारे में सामाजिक अन्तःक्रिया के द्वारा ही बोध होता है। स्व का ज्ञान उसे 'दूसरे व्यक्तियों' की भूमिका को ग्रहण करने से होता है। मीड अपने विश्लेषण द्वारा सामाजिक निर्धारणवाद को अस्वीकार करते हुए यह स्वीकार करते है कि व्यक्ति कभी भी निष्क्रिय नहीं है। बल्कि उसके पास अपने आप से अन्तःक्रिया करने की ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा वह स्वयं महिला का विकास पितृसत्तात्मक समाज में होता है जिसमें वह पुरुष की तुलना में अपने आपको कमतर आँकती है।

लिंगानुपात की स्थिति– भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लिंगानुपात सबसे कम है। अध्ययनों के आधार पर यह पाया गया है कि शिक्षित अमीर उच्च जाति के दम्पत्ति अपने अजन्मी कन्या को बहुत बड़ी संख्या में मार देते थे। समाज शास्त्रियों का मानना है कि प्राचीन काल में जनजातियों में अच्छी फसल के लिए, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए, लड़कियों की बलि दी जाती थी। जाट, राजपूत, अहीर, मीणा, गुर्जर, गुजरात की जडेजा जातियों में इसके अतिरिक्त सिख, मुसलमान ब्राह्मण तथा हिन्दूओं में भी भ्रूण हत्या पाई जाती है।

कुछ राज्यों में लिंगानुपात की स्थिति

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या
01	चंडीगढ़	118
02	पंजाब	893
03	हरियाणा	877
04	नई दिल्ली	866
05	गुजरात	918
06	उत्तर प्रदेश	908
07	राजस्थान	928

2011 की जनगणना के अनुसार

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जो चिन्ता का विषय है।

चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971– गर्भवती महिला कानूनी तौर पर गर्भपात केवल निम्नलिखित स्थितियों में करवा सकती है।

- जब गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा हो।
- महिला के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो।
- महिला या पुरुष द्वारा अपनाया गया कोई भी परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो।
- गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो।
- बच्चे की गम्भीर रूप से विकलांग या अपाहिज पैदा होने की सम्भावना हो।

यदि इनमें से कोई भी स्थिति मौजूद हो तो गर्भवती स्त्री एक डॉक्टर की सलाह से 12 हफ्तों के भीतर गर्भपात करवा सकती है। गर्भवती स्त्री से जबरन गर्भपात करवाना कानून जुर्म है। कन्या भ्रूण हत्या की सजा का प्रावधान धारा– 313, 314, 315 में वर्णित है।

भारत सरकार कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम के उद्देश्य से प्रसव पूर्व निदान तकनीक के लिए 1994 में एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अनुसार भ्रूण हत्या व लिंग अनुपात के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए कुछ नियम लागू किए गए। गर्भवती महिला को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानने के लिए उकसाना गैरकानूनी है।

<u>पी.एन.डी.टी. एक्ट 1994–</u> प्रसव पूर्व और प्रसव धारण पूर्व लिंग चयन जिसमें प्रयोग का तरीका, सलाह, कोई भी उपबंध जिससे यह सुनिश्चित होता हो कि लड़के के जन्म की सम्भावनाओं को बढ़ावा मिल रहा है, शामिल है।

भारत में कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ने के सम्बन्ध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक– 08–11–2016

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ ऑफ इण्डिया बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ने दिनांक 08–11–2016 को कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात के असंतुलन को बढ़ाने और कड़े कानून के कार्यान्वयन में अन्तर के बारे में कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश को पूर्व गर्भाधान और प्रसव के पूर्व नैदानिक तकनीकों (लिंग चयन पर रोक) और (छह महीने के प्रशिक्षण) के नियम को लागू करने का निर्देश दिया।

कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ाई में एएसी निर्णय पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान अधिनियम के कार्यान्वयन पर जोर देता है।

दिनांक : 08/11/2016

स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ पंजाब बनाम भारत संघ (2006 की रिट याचिका (सिविल) 349) भारत का सर्वोच्च न्यायालय

पंजाब के स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ (VHAP), एक गैर–सरकारी संगठन, ने 2006 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अन्य लोगों के खिलाफ पूर्व–गर्भाधान और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर रोक) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक याचिका दायर की थी। अधिनियम, 1994, हालाँकि, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा अभी भी कायम है। इसके मूल में रिट याचिका ने प्रीकंसेप्शन और प्री–नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 के गैर–कार्यान्वयन को चुनौती दी, जो बढ़ते कन्या भ्रूण हत्या और परिणामी असंतुलित लिंगानुपात के मुद्दे पर केन्द्रित है।

पीपूल्स यूनियंस फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूओआई एंड ओआरएस, हेल्थ एण्ड एलाइटड थीम्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और सीईएएचपटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जैसे कई मामले पहले ही इस

सम्बन्ध में तय किए जा चुके हैं और सेक्स–चयनात्मक गर्भपात की रोकथाम से सम्बन्धित हैं लिंग आधारित भेदभाव।

VHAP ने कहा कि जब लड़कों के साथ बालिका अनुपात का मिलान करने की बात आई, तो उपरोक्त सात राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गौंसाल्विस ने कहा, "प्रति 1000 लड़कों पर 1000 लड़कियों के नीचे किसी भी आँकड़े को गंभीरता से देखा जाना चाहिए।"

पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन का पता लगाने के लिए, न्यायालय ने स्वास्थ्य सचिवों से कहा कि वे अधिनियम के तहत दर्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में आँकड़े पेश करें, जो शुरू से ही लम्बित हैं, अभियोजन लंबित हैं और दोष सिद्ध हुए हैं।

कोर्ट रूम में 10 साल की लम्बी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवम्बर 2016 को मामले में अंतिम फैसला जारी किया।फैसले ने भारतीय परिवारों में महिला की निम्न स्थिति को उजागर करते हुए पीसीपीएनडीटी अधिनियम को लागू न करने पर इस मुद्दे को हल किया।

"जब कृत्रिम साधनों के माध्यम से एक मादा भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है, जो कानूनी रूप से अभेद्य है, तो जन्म लेने वाली महिला के जीवन की गरिमा को समाप्त कर दिया जाता है। यह मानवीय मूल्यों की पुष्टि करता है।

अदालत ने अपने फैसले में निम्नलिखित निर्देश दिएः

(क) भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सभी पंजीकरण इकाईयों से नागरिक पंजीकरण रिकॉर्ड का एक केन्द्रीकृत डेटाबेस बनाए रखा जाएगा ताकि लड़के और लड़कियों की संख्या के बारे में वेबसाइट से जानकारी उपलब्ध कराई जा सकें।

(ख) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाली जानकारी में प्रत्येक जिला, नगर पालिका, निगम या ग्राम पंचायत के लिए जन्म की जानकारी होगी ताकि जन्म लेने वाले लड़के और लड़कियों की दृश्य तुलना तुरन्त देखी जा सके।

साहित्य का पुनर्रावलोकन–

- **फ्रेसर तथा सहयोगी (1986)**: स्पष्ट किया ता रूढ़िवादी सोच को प्रमुख माना तथा नारी को शिक्षा देने के लिये माता–पिता को समझाया की आपका लड़की के प्रति उत्तरदायित्व विवाह ही नहीं बल्कि शिक्षा भी है। माता–पिता की सोच लड़की के प्रति घर का कामकाज और पराया धन समझना, पढ़ाई पर फिजूल खर्च इन सभी सोच को बदलने की आवश्यकता है।
- **यादव एवं मालवीय (1990)**: ने शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययन खोज में पाया कि 53-09% महिलाओं को घर के सदस्यों का योगदान नहीं प्राप्त होता है। 46-05% घर के सदस्यों का योगदान नारी शिक्षा को प्राप्त होता है।
- **हुसैन (2004):** विश्लेषण अनुसार जिसमें कन्या भ्रूण हत्या की प्रक्रिया को 8 बार दोहराया। केवल उस उम्मीद के साथ कि वह एक बेटे की माँ बने सके। एक अनुमान के अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में करीब डेढ़ करोड़ लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया गया अथवा पैदाइश के बाद 6 वर्षों के भीतर ही उनको मौत के मुँह में सुला दिया गया। इसमें डॉक्टरों को दोषी बताते हुए लिखा है कि, लड़की नहीं चाहिए तो हमारे पास आइए हम गिरा देंगे। कुछ डॉक्टरों ने विज्ञापन भी लगवाए जिस पर लिखा था आज रू0 500/– खर्च कीजिए, कल दहेज के 5,00,000/– बचाइए अतएव भविष्य में विवाह के लिए स्त्री का अपहरण किया जाएगा। उसकी इज्जत पर हमले होंगे। उसे जबरदस्ती एक से अधिक पुरुषों की पत्नी बनने पर मजबूर भी किया जा सकता है। अब तक होने वाले सर्वेक्षण भी इसका समर्थन करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक रूझान को खत्म करने के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है।
- **चटर्जी (2005):** स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक में कहा कि कई दशकों से पुरुष ने महिलाओं को हर क्षेत्र में अपने अधीन बनाया हुआ है। सामाजिक प्रथाओं एवं कुरीतियों ने महिलाओं को चारदीवारी के भीतर रखा, परन्तु औद्योगिक क्रांति से महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या ने नौकरी में प्रवेश किया, जो केवल पुरुष का ही शासन क्षेत्र माना जाता था।

- **शेण्डे (2006):** ने व्याख्यायित किया है कि नारी जगत की जननी हैं, जो सम्पूर्ण विश्व का पालन पोषण करती है। इसके बावजूद समाज में महिलाओं का शोषण किया जाता है। शिक्षक द्वारा महिलाओं की स्थिति और स्त्री जागरूकता पर बल दिया।
- **बूटा, अरुणा (2008):** वर्णन किया पुरुष नारी को अपने अधीन समझता है, सन्दर्भ में व्याख्या की है, पुरुष सफल औरतों को शंका की नजर से देखते है, वे सामाजिक रूढ़िवादी विचारों पर बल देते हैं पुरुष अपना अधिपत्य औरत पर जमाना चाहता है, जो कि हर निर्णय में नारी पुरुष पर निर्भर रहे वह हर क्षेत्र में दर्शाता है कि महिला की बागडोर पुरुष के हाथों में हैं।
- **सिंह (2008):** ने विश्लेशण किया की स्वतन्त्र समाज में भी औरतों का शोषण होता आया है। सभी वर्गो की महिलाऐं लिंग भेदभाव का शिकार हैं। वर्तमान समय में महिलाऐं आधुनिकता को अपना रही हैं। अपने साथ हो रहे अन्याय व भेदभाव का विरोध कर रही हैं, एवं कानूनी सहायता भी ले रही है।
- **बुआ (2008):** स्पष्ट किया कि स्त्रियों को तो वहीं मिला जो पुरुषों की इच्छा हुई। पुरुष दाता है, और औरत गृहणी । औरत एक ऐसी इकाई हैं, जिसके पास साधनों का अभाव है। जिसका ना अतीत है और ना ही भविष्य। वह अपने आप को पुरुष सत्ता समाज में चारों और से घिरी हुई पाती है, ”अपने भाई पति या पुत्र के रूप में”।
- **कुलश्रेष्ठ (2008):** शोधकार्य शीर्षक ”गर्भपात के अपराध का सामाजिक विधिक अध्ययन'' कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग अनुपात के विशेष संदर्भ में है इन्होंने अपनी शोध अध्ययन द्वारा सभ्यता में आदर्श और यथार्थ में अन्तर एक बड़ी समस्या को स्पष्ट किया। बालिकाओं की गरिमा को परम लक्ष्य मानकर इनकी रक्षा के लिए प्रयास किया है। शोध का उद्देश्य गर्भपात एवं कन्या भ्रूण हत्या की सामाजिक एवं विधिक व्याख्या करना है। ऐतिहासिक और विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचना है कि इस अध्ययन में 7 अध्यायों का समावेश है। शोघ प्रबन्ध में आपराधिक गर्भपात के सन्दर्भ में निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए है।

- **गोस्वामी (2010):** विश्लेषण किया कि लैंगिक भेदभाव, वंशवाद और घर के माहौल में भेदभाव को दर्शाता है। पुत्र जो घर का सहारा बन सके और मृत्यु के बाद उन्हें कंधा दे सके और इसके विपरीत लड़कियों को छोटी—मोटी क्रियाओं में आगे बढ़ा दिया जाता है जैसे घर का काम आदि। लड़के की शिक्षा पर जोर दिया जाता है लड़कियों की अपेक्षा। पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी और लिंग असमान सोच सदियों से बच्चों पर प्रभाव डालकर उनके भविष्य की विचारधारा को ठोस बना रही है। शोध का मुख्य उद्देश्य चिंतन को विकसित करना है जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न को समाप्त किया जा सके।
- **खेतान (2010):** अपनी पुस्तक "अन्या से अनन्या" में लिंग विभेदीकरण को स्पष्ट किया कि स्त्री समाज के नियम व कानूनों को अस्वीकार करती है और अपनी पहचान की माँग करती है, जो समाज उन्हें नहीं दे पाता। समाज की डायरी में स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर स्त्री के लिए कोई निर्धारित मानक नहीं है। इन्होने अपने लेखन मैं मारवाड़ी संस्कृति व सामाजिक प्रभाव को दर्शाया है।
- **सुमन (2011):** "कन्या भ्रूण हत्या का तेजी से विकसित होता बाजार" मैं विश्लेषण किया कि प्रगतिशील लोग, प्रगतिशील समाज, प्रगतिशील विचारधारा बच्चे के जन्म को लेकर बनाई गई है। छोटे और समृद्ध परिवार की इच्छा, बच्चे प्राप्त ना करने की इच्छा, जब चाहे गर्भ धारण करें लड़की हो तो गर्भपात की इच्छा, भारतीय संस्कृति के दामन को पश्चिमी सभ्यता की छाया ने दागदार किया है। गर्भपात का दोषी परिवार को ठहराते हुए महिलाओं को दोषी माना। जो केवल समाज को दिखाने के लिए एक बेटे पर जोर करती है। गर्भपात की घटना अशिक्षित समाज की तुलना अधिक शिक्षित समाज में है। आँकड़ों के अनुसार 35 जिलों में महिला पुरुष की स्थिति मैं गम्भीर असंतुलन की स्थिति देखी जा रही है उनमें 50% जिले पंजाब से हैं। इसकी रोकथाम के सरकारी प्रयास वर्तमान में एक मजाक बनकर रह गए है। आने वाले समय में स्पष्ट है कि पुरुष समाज भी अपने अस्तित्व और अधिकारों से बेदखल हो जायेगें।

- **बनर्जी (2012):** के विश्लेषण अनुसार भारत में एक खास वर्ग ऐसा है जिसकी सोच पर पुरुषवादी रूढ़ियाँ हावी है जिसके कारण बेटे के जन्म को वरीयता दी जाती है। सरकारी प्रयास को व्यर्थ प्रयास की श्रेणी में रखा है। भारतीय समाज में स्त्री को जन्म का अधिकार नहीं है। साथ ही मुक्त निर्णय, मुक्त सोच, और मुक्त कार्य का अधिकार नहीं है। स्त्री का पूर्ण जीवन पुरुष समाज द्वारा निर्धारित होता है। कन्या भ्रूण हत्या का गरीबी और अशिक्षा के मानसिकता और विचारधारा से गहरा सम्बन्ध है। जो राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से मजबूत है वहाँ स्त्री सम्बन्धित ऐसी घटनाएं कम होती है जैसे पश्चिम बंगाल, केरल आदि। सन् 2003 में इसे रोकने के लिए प्रीकनसेप्शन एण्ड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टैक्निक्स अधिनियम 1994 जारी हुआ तथा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सन् 2009 में पूरे देश में कुल 123 मामले पंजीकृत हुए हरियाणा जैसे राज्य में तो स्त्री संख्या इतनी कम है कि बाकायदा अन्य राज्यों से दुल्हन के नाम पर लड़कियां खरीदी जा रही हैं। स्त्रियों में वैज्ञानिक चेतना जगाने का प्रयास हुआ है। जब तक स्थिति में बदलाव नहीं आएगा तब तक नारी दोयम दर्जे की नागरिक बनी रहेंगी।
- **अरोरा (2012):** विवेचना अनुसार भू–मण्डल की बढ़ती व्यापकता के कारण महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ती जा रही है। फिर भी पुरुष रूढ़िवादी सोच के कारण आज महिलाऐं लिंग भेदभाव का शिकार है। पुरुष समाज में पुरुषों ने हमेशा औरत को बिछौना समझा। वर्तमान समय में समाज में व्याप्त लिंग भेदभाव के कारण ही कन्या भ्रूण हत्या को जन्म दिया।
- **भट्टाचार्य (2013):** ने स्पष्ट किया कि किसी की लिंग असमानता की जड़ परिवार है। आज लिंग भेदभाव परिवार मतों के द्वारा ही शुरू होती है महिला पुरुष कार्य का बँटवारा, परिवार से ही शुरू होता है। जिसके कारण महिलाऐं परिवार एवं राष्ट्र दोनों में अपनी योग्य पहचान बनाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं।

- **पेपनेक (2013):** लिंग (सामाजिक) स्त्री और पुरुष से सम्बन्धित है। जो कि स्त्री और पुरुष के सांस्कृतिक आधारों का व्याख्यान करता है। सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक आधार पर लिंग सामान्यता शक्ति सम्बन्धों का कार्य तथा असमानता का सामाजिक संगठन है।
- **गिडेन्स, एन्थनी (2013):** ने स्पष्ट किया, कि पुरुषों की सामाजिक बागडोर की पकड़ महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र व अपने रिश्तेदारी एवं मनोभावों की बातचीत से दूर रखता हैं बचपन से ही परिवारों में माता–पिता द्वारा पुरुषों को बाहर का काम सौंपा जाता है। पुरुषों से अपने मनोभावों को दबाने एवं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करने की अपेक्षा की जाती है। क्योंकि यह महिलाओं का कार्य माना जाता है।
- **राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो सर्वेक्षण (2013):** के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लड़कों को (उम्र 10–15 वर्ष) पौष्टिक भोजन दिया जाता है, जब कि इसी उम्र की लड़की को 25 ग्राम पौष्टिक भोजन एक दिन में दिया जाता है। वही घरेलू कार्य करने वाले पुरुष की 475 ग्राम खाना मिलता है जबकि महिला को 403 ग्राम अनाज खाने को मिलता है।
- **बानू (2014):** इन्होने दक्षिण राजस्थान में महिलाओं के मानव अधिकारों के उल्लंधन पर अध्ययन किया है कि महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है। इनके विरूद्ध हिंसा दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है, इसका प्रमुख कारण महिलाओं में इसके प्रति चेतनता का अभाव है।
- **स्वाति (2015):** स्पष्ट किया लिंग असमानता समाज के लिए घातक है। यह समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। महिलाओं की घट रही जनसंख्या में पुरुष व महिला दोनों बराबर के जिम्मेदार है। समाज को भ्रूण हत्या को खत्म करने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। इन्होंने महिला लिंग अनुपात के परिणाम से आने वाली परेशानियों से अवगत कराया।
- **सोनकर (2015):** प्रस्तुत शोध का आधार भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना है। आपने प्राचीन समय से लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक स्त्री की स्थिति को दर्शाया है। पितृसत्ता, नारीवाद, पूँजीवादी, आंदोलन, लोकतंत्र आदि ऐसे

समाज में स्त्री को अवहेलना का शिकार होना पड़ता है। उदारवादी नारीवाद, रेडिकल नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता, भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को स्पष्ट रूप से विवेचना प्रस्तुत की एवं भारतीय समाज में महिलाओं के साथ हो रहे असमानता का मुख्य कारण पितृसत्ता को माना।

- **मिलर, डी बारबारा (2015):** स्त्री शिशु हत्या के दो रूपों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष को व्याख्यायित किया है कि प्रत्यक्ष रूप में स्त्री को मारने पीटने, कन्या भ्रूण हत्या, जहर देकर एवं तेजाब द्वारा जला देना या गला घोंटकर हत्या करना आदि एवं अप्रत्यक्ष रूप में उनको पालन पोषण देखभाल की उपेक्षा करके मारने का प्रयास किया जाता है।
- **त्रिपाठी (2016):** विश्लेषण अनुसार कन्या भ्रूण हत्या के लिए इच्छित संतान को दोषी मानते हुए वैज्ञानिक आविष्कारों को सहयोगी माना। इस अपराध को भारतीय संस्कृति का उपहास बताया। वैदिक धर्म का वर्णन करते हुए भ्रूण हत्या को ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है उसका भी दोगुना पाप गर्भपात का बताया। मौजूदा हालात देखते हुए सामाजिक सोच व मानदण्ड बदलने की बात कही है। देश का एक जिला ऐसा भी है जहाँ कि युवा वर्ग ने एक खास अभियान चला रखा है सोनभद्र जिले के रावतसर गंज ब्लाक के 3 गाँव मझूकी भवानीपुर और गईडगढ़ के 60 युवाओं ने एक मण्डली तैयार की है जो अपने गाँव में होने वाली किसी भी धर्म जाति की कन्या की शादी में टेण्ट से लेकर बर्तन तक का काम स्वयं सम्भालती है। कई संगठन ऐसे है जो लड़कियों के सारे खर्चे उठाती हैं। 2002 में बने ऐसे संगठन से लोगों के इस अपराध के प्रति भावनाओं में बदलाव आया है। इस स्थितियों से स्पष्ट है कि लिंग चयन गर्भपात एक अभिशाप है और इसे कड़ाई से रोकने की आवश्यकता है।
- **नयाल (2016):** ने स्पष्ट किया है कि भारत एक पितृसत्तात्मक परिवार रहा है। पारिवारिक मूल्य एवं लिंग असमानता सदैव महिलाओं को विकास क्रम में पीछे रखता है। पुत्र को वरीयता देता है, लिंग असमानता की जड़ को परिवार द्वारा ही पोषित किया जाता है।

महिलाओं की धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक सभी आधार लिंग असमानताओं की विवेचना करते है। स्त्री के घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज कुप्रथा शोषण दमन आदि अपराधों को दूर करने की बात की।

- **चौहान (2016):** अध्ययन से स्पष्ट है कि स्त्री की हत्या के पीछे सामाजिक आर्थिक उपयोगिता सम्बन्धित कारक है। भारत पुरुष संतति एवं पुरुष परिवार है। धार्मिक कारक जिसमें केवल पुत्र ही भाग ले सकते है, जैसे मुखाग्नि। व्यक्तिगत स्तर पर भी माँ के स्वास्थ्य पर हानिकारक दुष्प्रभाव है। इन्होंने इस प्रथा को रोकने के लिए दोषियों को सख्त सजा का प्रावधान की माँग की है। आधुनिक समय से शहरों से अधिक अपने गाँव में पुत्र माँग अधिक बताई है। स्त्री पुरुष के बीच असमानता दूर करने में भारत का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और वैश्विक आर्थिक मंच की 2014 की स्त्री पुरुष समानता सूचकांक में 142 देशों में इसने 114वाँ स्थान प्राप्त किया है वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले साल के मुकाबले 13 पायदान लुढ़क गया है देशभर में स्त्री पुरुष अनुपात चिंताजनक रूप से गिर रहा है और सरकारी योजनाऐं असफल हो रही है।
- **भटनागर (2016):** ने स्पष्ट किया है कि कन्या भ्रूण हत्या पढ़े–लिखे समाज और उच्चवर्गीय समाज में अधिक है। कानून बनते हैं तो उसे तोड़ने वाले भी बहुत हैं, छुपते–छुपाते समाज में यह गैरकानूनी काम धड़ल्ले से हो रहा है। समाज को लड़को की चाहत अधिक है पुत्र की आवश्यकता लोगों को मृत्यु के बाद भी होती है। समाज में बेटी बेटे के अधिकारों और उत्तरदायित्व में समन्वय की बहुत कमी है। अधिकतर लोग एक बेटा तो चाहते ही हैं और इसी चाहत में कभी–कभी कई बेटियां भी हो जाती है। कन्या भ्रूण हत्या के दूरगामी परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी बार–बार गर्भपात माता के मानसिक व शारीरिक स्वास्थय के लिए सही नहीं है। इसके अतिरिक्त समाज की सोच भी बदलना जरूरी है केवल एक समान, कह देने मात्र से बेटी बेटा का दर्जा बराबर है, काम नही चलेगा। उन्हें हक और जिम्मेदारी मैं बराबरी की साझेदारी निभाने की स्वतन्त्रता समाज को

देना पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह अपराध निरन्तर ऐसे ही होते रहेंगे। शैक्षणिक स्तर बढ़ने पर भी कन्या भ्रूण हत्या थमने का नाम नहीं ले रही है।

- **तिवारी (2017):** विवरण अनुसार महिलाएं दिन प्रतिदिन अपनी लगन व मेहनत से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। आज महिलाऐं पुरुष रूढ़िवादी समाज में निश्चित रूप से आगामी स्वर्णिम भारत की नींव और मजबूत करने का हर सम्भव प्रयास कर रही है, जो काबिले तारीफ है। आज जहाँ महिलाऐं अपना अस्तित्व बना रही हैं वहीं पुरुष प्रधान समाज में महिला हिंसा कम नहीं हो रही है। महिलाऐं सामाजिक कुप्रथाओं का शिकार हो रही है। न्यायालय ने तीन तलाक जैसी कुरीतियों पर प्रतिबन्ध लगाकर मुस्लिम समाज को नई दिशा प्रदान की है। महिलाओं को बेहतरीकरण के लिए अपनी कुत्सित एवं रूढ़िवादी मानसिकता से बाहर निकलना होगा।
- **रानी (2018):** ने अपने अध्ययन "हकीकत के आईने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं" में वर्णन किया है कि प्रकृति ने लिंग के आधार पर संतुलन बनाया है, परन्तु मानव जाति ने अपनी वृद्धि का प्रयोग करके इस संतुलन को बिगाड़ा है। जहाँ एक और कन्या भ्रूण हत्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं जैसे मुफ्त शिक्षा, कन्या के पैदा होते ही सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि देकर समाज को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। लिहाजा तमाम सरकारी गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद अब भी सामान्य भारतीय परिवार पुत्र मोह से स्वयं को अलग नहीं कर पा रहा है। समाज में लड़कियाँ शिक्षित होकर रोजगार हेतु अपने घरों व शहरों से दूर आने जाने लगी है। महिलाओं के प्रति प्रायः तंग नजरिया होने के चलते अभिभावकों के लिए उनकी बेटियों का घर से बाहर निकलना चिंता का विषय है। हत्या कारण विवाह का खर्च, मँहगाई, बेटियों की सुरक्षा, दहेज इत्यादि है।
- **कुमार (2018):** ने अपनेअध्ययन से स्पष्ट किया है कि प्राचीन समय से वर्तमान समय तक नारी के प्रति पुरुष व समाज की धारणा में परिवर्तन आया है इसकी शारीरिक कमजोरी को उसकी दुर्बलता मान लिया गया जिसके परिणामस्वरूप समाज की मानसिकता में महिला

निर्बल हो गई, पुरुष इन्हें प्रसाधन का साधन मानने लगे और वह भोग्या के रूप में उभरी उनके असुरक्षा का भाव इतना भर दिया गया कि वह कन्या भ्रूण हत्या का उत्तरदायी हुआ। इसमें व्याख्यात्मक अवलोकन पद्धति अपनाई गई है। इस प्रकार इस पुरुष अधिशासित समाज में नारी, पुरुष के हाथों की कठपुतली बन गई है। नारी ने प्राचीन धारणाओं को अपने जीवन में शामिल कर लिया। सरकार ने इस अपराध को रोकने के लिए कई कानून बनाए परन्तु वह समाज की पहुँच से दूर हैं अतः कानूनी कार्यवाही को जमीनी स्तर पर लाने की आवश्यकता है, अर्थात समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है।

- **संजय (2019):** अपने विश्लेषण से आपने स्त्री का शोषण अत्याचार और रूढ़िगत मूल्यों से मुक्ति की बात कही है। नारी अपनी आत्मा का गला नहीं घोंटना चाहती वरन् एक ताकतवर स्त्री बनना चाहती है। कविताओं में दर्ज नारी मुक्ति की गूँज वर्तमान कविता की प्रासंगिकता को सिद्ध करती है।
- **यादव (2019):** स्त्री पुरुष लिंग अनुपात में पिछले कुछ दशकों में आई भारी गिरावट का मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या है। प्रस्तुत शोध का स्वरूप विवरणात्मक है। लिंग चयन गर्भपात को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। भारत में लिंग अनुपात में कमी बहुआयामी समस्या का परिणाम है और इन सब का प्रमुख कारण हमारी सोच हैऔर इसका निदान जागरूकता से ही सम्भव है।
- **मिश्र (2019):** अपनी शोध से स्पष्ट किया है कि हर युग में स्त्री को जिंदा लाश में परिवर्तित करने की कोशिश होती रही है। कविता के माध्यम से महिलाओं को पुरुषों के पंजे से आजाद होने को जागरूक किया।

समस्या कथन–

सदियां बदल रही है लिंग भेदभाव के परिणामस्वरूप बेटियों को लेकर हमारी सोच अब तक नहीं बदली। तकनीकी विकास हुआ और उस विकास का प्रयोग (दूरुपयोग) भी गर्भ में पल रही बेटी की हत्या के लिए ही किया जाने लगा। नारीविहीन समाज, परिवार विवाह जैसी प्रथा को प्रभावित करेगा। बेटे की चाहत इसी ओर इशारा करती है। आज वैश्वीकरण के दौर में भी हमारा समाज अपराध की ओर

तेजी से बढ़ रहा है जिसमें सबसे बड़ा अपराध कोख में पल रही मासूम बच्चियों की हत्या है। समाज में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। लिंग असमानता की स्थिति स्वयं मानव द्वारा निर्मित है। गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कर कन्या भ्रूण की हत्या सहज हो गई है। प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, किसी को जीने के अधिकार से वंछित करना पाप है। वैदिक धर्म में भ्रूण हत्या को पाप बताया गया है। फिर भी समाज आँख मूँदकर लिंग चयन गर्भपात करा रहा है। हमारी समस्या समाज में दिन–प्रतिदिन कन्याओं की बढ़ती हुई हत्या है। और यदि हमारी समाज में गर्भपात का सिलसिला यूँ ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब समाज में गम्भीर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। जहाँ समाज में महिलाओं की कमी आने लगेगी, वहाँ के पुरुष अन्य गाँव से युवतियों को खरीद कर उनसे ब्याह रचाएंगे। कभी–कभी अनेक बेटों का ब्याह एक साथ एक ही कन्या से किया जायेगा। दूसरी तरफ बलात्कार व अमानवीय कर्म जैसे दूसरों की बहू, बेटियों पर गंदी दृष्टि रखना, जिससे व्यभिचार और स्त्री शोषण की अति हो रही है। सामाजिक एवं आर्थिक जगत में उनका शोषण लगातार किया जा रहा है। इस प्रकार लिंग चयन गर्भपात से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस समस्या का चयन किया गया है। समाज में धीरे–धीरे महिलाओं की संख्या घटती जा रही है। अन्ततः लिंग अनुपात की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है।

अध्ययन का महत्व–

सामाजिक संगठन का निर्माण स्त्री पुरुष के सहयोग से सम्भव होता है। स्त्री की समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। स्त्री के बिना परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकते। पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है, उसे पुरुष की अर्धागिनी कहा जाता है। आज की नारी विकास के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के समकक्ष है। नारी केवल एक नारी ही नहीं, अपितु वह काव्य और प्रेम की मूर्ति हैं। नारी ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सूझबूझ और कौशल से नई दिशाएं प्रदान की हैं। महिला समाज में एक माँ, एक पत्नी, एक बहन तथा एक बेटी के रूप में अपने परम्परागत दायित्वों को पूरा कर रही है। आज की नारी अबला नहीं सबला बन गई है। नारी घर के कामकाज के अलावा पढ़–लिखकर दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। वर्तमान समय में महिला पराधीनता से मुक्त होकर, अपनी गरिमा को पाने का प्रयास कर रही है। वस्तुतः नारी मानवता की प्रतिमूर्ति है, प्रकृति का अनमोल उपहार है, नारी की प्रतिभा और दुष्टिकोण पुरुष से

किसी भी भाँति कम नहीं है। नारी में विद्यमान उसकी प्रतिभा और प्रगति समाज के लिए आवश्यक है। महिलाएं सृष्टि की निर्मात्री है। इसके बावजूद वर्तमान में कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन के माध्यम से लिंग असमानता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पक्ष एवं तथ्यों की वास्तविक जानकारी, प्राचीन तथ्यों की पुनः समिक्षा एवं नवीन तथ्यों की प्राप्ति होगी। इससे समाजशास्त्रीय ज्ञान के भण्डार में वृद्धि होगी। इस अध्ययन द्वारा समाज में फैल रहे कोढ़ "लिंग भेदभाव कन्या भ्रूण हत्या", के कारण एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को तथा इसके रोकथाम के उपायों को सुझाया जायेगा।

अध्ययन से सम्बन्धित उद्‌देश्य–

- लिंग भेदभाव की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन।
- कन्या भ्रूण हत्या के उत्तरदायी कारकों का अध्ययन।
- धर्म के आधार पर कन्या भ्रूण हत्या के प्रति उत्तरदाताओं के विचारों का अध्ययन।
- विभिन्न वर्गों के आधार पर लिंग चयन गर्भपात का अध्ययन।

अध्ययन से सम्बन्धित परिकल्पना–

- लिंग भेद में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के स्वरूपों में अन्तर पाया जाता है।
- कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य कारण पुरुष प्रधान समाज है।
- कन्या भ्रूण हत्या में विभिन्न धर्मों में विविधता पायी जाती है।
- लिंग चयन गर्भपात की बहुलता मध्यम वर्गों में पायी जाती है।

शोध विधि–

अध्ययन पद्धति–प्रस्तुत अध्ययन पद्धति के अन्तर्गत अन्वेषणात्मक, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, विष्लेषणात्मक, शोध पद्धति का प्रयोग किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत लिंग भेद स्त्री, कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों के कार्य–कारण सम्बन्धों की विवेचना की जायेगी।

अध्ययन का क्षेत्र– प्रस्तावित अध्ययन "लिंग भेदभाव कन्या भ्रूण हत्या का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" आगरा जनपद के विशेष संदर्भ में अध्ययन करने हेतु आगरा नगर के 3 नगरीय क्षेत्र मोहनपुरा, ईदगाह एवं राजामण्डी अध्ययन के क्षेत्र होंगे।

अध्ययन का समग्र– प्रस्तुत अध्ययन में आगरा जिले के मोहनपुरा, ईदगाह एवं राजामण्डी क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलायें अध्ययन का समग्र होंगी। शोध कार्य में परिस्थिति के अनुसार अध्ययन किया जायेगा।

निदर्शन– प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए कुल 568 महिला इकाईयों का चयन दैव निदर्शन विधि द्वारा किया जायेगा। जो कि अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले परिवार में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की महिलाओं का चयन किया जायेगा।

क्रम संख्या	**नगरीय क्षेत्र**	**महिला जनसंख्या**	**महिला जनसंख्या का कुल** 2%
01	मोहनपुरा	7900	158
02	ईदगाह	9685	194
03	राजा मंडी	10765	216
	कुल	**28350**	**568**

अध्ययन संयंत्र– अध्ययन संयंत्र के शोध कार्य में साक्षात्कार अनुसूची, असहभागी अवलोकन विधि एवं एकल विधि, संयंत्र का प्रयोग किया जाएगा।

पूर्वगामी अध्ययन– अध्ययन संयंत्र की उपयोगिता तथा प्रभावशीलता की जाँच परख के लिए साक्षात्कार, अनुसूची के माध्यम से पूर्वगामी अध्ययन किया जायेगा।

तथ्यों का संकलन– प्रस्तुत अध्याय में तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया जाएगा। प्राथमिक के अन्तर्गत साक्षात्कार, अनुसूची और असहभागी एवं व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाएगा। तथा द्वितीयक स्रोतों के अन्तर्गत पुस्तकों, मैगजीन, इंटरनेट, समाचार पत्रों, आदि के माध्यम से विषय सम्बन्धित तथ्यों को संकलित किया जायेगा।

तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन– आवश्यकतानुसार प्रभावी एवं आकर्षक तरीकों से प्रस्तुत करने के लिए उनको बार चित्र, पाई चार्ट आदि में दर्शाया जाएगा। इससे तथ्यों को आसानी से समझने एवं दो या दो से अधिक तथ्यों के बीच तुलना करने में आसानी होगी।

<u>निष्कर्ष एवं सारांश</u>– अध्ययन से सम्बन्धित निष्कर्ष एवं सारांश को भी लिखा जायेगा।

<u>प्रस्तुत अध्ययाय</u>

प्रथम अध्याय

- प्रस्तावना
- अध्ययन से सम्बन्धित सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य
- समस्या कथन
- अध्ययन का महत्व
- साहित्य का पुनरावलोकन
- अध्ययन के उद्देश्य
- अध्ययन से सम्बन्धित परिकल्पना
- अध्ययन शोध पद्धति
- अध्ययन का क्षेत्र
- निर्दशन
- पूर्वगामी अध्ययन
- तथ्यों का संकलन
- तत्वों का वर्गीकरण और सारणीयन एवं विश्लेषण
- तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन

द्वितीय अध्याय

- लिंग भेदभाव के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन

तृतीय अध्याय

- लिंग भेदभाव के उत्तरदायी कारक

चतुर्थ अध्याय

- धर्म के आधार पर कन्या भ्रूण हत्या के प्रति उत्तरदाताओं के विचारों का अध्ययन

पंचम अध्याय

- विभिन्न वर्गों के आधार पर लिंग चयन गर्भपात का अध्ययन

षष्ठ अध्याय

- निष्कर्ष एवं सारांश
- सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- साक्षात्कार अनुसूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- आहुजा, राम (2000), "आधुनिक भारत की सामाजिक समस्याएँ", मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ
- सिंह, मेहता चेतन (2004), "महिला एवं कानून आशीष", पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
- शेण्डे, रामजी हरिदास, (2006), "नारी सशक्तिकरण ग्रन्थ", पब्लिकेशन्स हाउस, जयपुर
- कुमार, ए. (2006), "इंडियन बूमेन स्टेटस एण्ड कंटेपरेरी सोशल इश्यूज", पब्लिकेशन नई दिल्ली
- गौढ, संजय, (2006), "आधुनिक महिलाएँ एवं समाज : उत्पीड़न अत्याचार एवं अधिकार", बुक एन्क्लेव जयपुर
- सिंह, मिनाक्षी निशान्त, (2008), "आधुनिकता एवं महिला उत्पीड़न", ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
- कुलश्रेष्ठ, डॉ. संजय, "विधिक अनुसंधान पद्धतियां", यूनिवसिर्टी बुक हाउस (प्रा) लि. जयपुर, प्रथम संस्करण (2008), पृ. क्रं. 5
- बानु, जेनब, (2014), "डिरपरावेशन ऑफ वुमेन्स ह्यूमन राइट्स एण्ड स्ट्रेटजीज फार रेसुलेशन", कनिष्क पब्लिकेशन, दिल्ली
- अरोड़ा, ऊषा, (2015),"आजकल महिला अस्तित्व की पहचान", प्रकाश विभाग

- त्रिपाठी, प्रतिमा, (2016), "लिंग विद्यालय एवं समाज अग्रवाल", पब्लिकेशन, आगरा
- Helberman, E. and Munson, M., Sixty Battered Women". Victimology : An International Journal, Vol. 2, 1979, 78.
- Moniker, Kamla, Abortion, A social dilemma, Vikash pubishing house, New delhi 1973 P.2
- Saraswati, Dr. Mishra status of Indian woman, Gyan Publishing House, New Delhi, 2002, P. 247.

WEBSITE

- agracitymunicipal corporation.com
- http://en.m.wikipedia.org.
- hindi feminism in India.com
- bbc.com/hindi/regionalnews/story/2004/04/040428 indiagirl.html.
- Hindi webindia.com author Shalini Tiwari.
- https://hindi.lawrato.com

NEWS PAPER

- ndtvindia, report, Thursday 20 July 2017.
- Times of India (2004), P.7.
- Hindu 17th December, 2003, P.14
- India Today – 17 Nov., 2003.
- Hindustan Times, 30 Jan 2002.
- Times of India, 23 Dec. 2002.